E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2020; 2(2): 05-06
Received: 05-06-2019
Accepted: 13-07-2019

डॉ० राजबली पासवान
सहायक प्राध्यापक (अतिथि),
राजनीति विज्ञान विभाग, रामेश्वर सिहं महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० राजबली पासवान
सहायक प्राध्यापक (अतिथि),
राजनीति विज्ञान विभाग, रामेश्वर सिहं महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, भारत

वर्तमान बिहार की राजनीति में दलित और महादलित

डॉ० राजबली पासवान

सारांश
आज बिहार में दलित वर्ग के सामाजिक स्तरों में समानता लाने की तलाश में जारी है। 1990 के बाद जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तब दलितों की स्थिति में अपेक्षित सुधर हुआ। संसद एवं विधनसभा में दलितों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि हुई। जहाँ तक 1970 से लेकर 1990 के बीच दलितों की स्थिति में कापफी सुधर हुआ। नीतिश कुमार की सरकार 2005 में बनी तब से उनके द्वारा महादलित आयोग का गठन, विकास मित्रा की बहाली, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं, दलितों, अतिपिछड़ों, पिछड़ों को आरक्षण देकर उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बिहार में दलितोत्थान के प्रयास में बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अभीष्ट प्रभाव पड़ा। अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने पहली बार 1957 ई0 में बिहार का दौरा किया था। 6 नवम्बर को वे पटना पहुँचे। उनके साथ उनकी पत्नी सविता अम्बेदकर एवं परिगणित जाति संघ के महामंत्री पी.एन. राजभोज भी थे। पटना गाँधी मैदान में उनका भव्य स्वागत हुआ। विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा – ''मुझे इस बात से खुशी है कि महात्मा बुद्ध की पवित्रा भूमि पर सामाजिक क्रांति का बीज पिफर से अंकुरित हो गया है।

मूल शब्दः दलित, पंचायतीराज, आरक्षण, आयोग, शिक्षा

प्रस्तावना
वर्तमान बिहार विधनसभा में दलित प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है निर्वाचित सदस्यों ने जुझारूपन का परिचय दिया। 1990 के बाद जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने तब दलितों की स्थिति में अपेक्षित सुधर हुआ। संसद एवं विधनसभा में दलितों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि हुई। जहाँ तक 1970 से लेकर 1990 के बीच दलितों की स्थिति में कापफी सुधर हुआ। नीतिश कुमार की सरकार 2005 में बनी तब से उनके द्वारा महादलित आयोग का गठन, विकास मित्रा की बहाली, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं, दलितों, अतिपिछड़ों, पिछड़ों को आरक्षण देकर उनकी आवाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। दलित छात्रा–छात्राा को छात्रावृति, निःशुल्क कोचिंग आदि की व्यवस्था करना। दलितों को रेडियो, उनके टोले में पक्का रोड निर्माण, उनके लिए आवास बनाने का कार्य किया। सारे कॉलेज में आरक्षण लागू होने से उनकी शिक्षा–दीक्षा में प्रतिशत बढोतरी हुई। आज अनुसूचित जाति की हैसियत भारतीय जाति व्यवस्था में कापफी मजबूत हुई। अब तो लोग उनसे छुआछूत नहीं करते। हर क्षेत्रा में अनुसूचित जाति के लोग आए हैं। [1]

दलितों को जो आरक्षण का लाभ मिला उसे तो दुसाध, चमार, धेबी एवं पासी जाति के लोगों ने आगे बढ़कर हथिया लिया। इन जातियों की आर्थिक स्थिति बेहतर थी और उन्होंने आधुनिक शिक्षा का भरपूर लाभ उठाया था। इन जातियों की आर्थिक स्थिति बेहतर थी और इन्होंने आधुनिक शिक्षा का भरपूर लाभ उठाया था। उनके पेशां ने उन्हें शहरों में बसने के लिए प्रेरित किया जहाँ इन्हें जीवकोपार्जन के अच्छे अवसर मिलें। आरक्षण का लाभ इन्हीं लोगो तक सिमट कर रह गया। यह छनकर मुसहर, मेहतर, भंगी या अन्य निर्धन लोगो तक नहीं पहुँच पाया। पफलतः वे पहले की तरह गरीब और असहाय बने रहें। उनकी सामाजिक हैसियत भी पूर्ववत् रही। इन्हीं को देखते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने महादलित आयोग बनाने की जरूरत समझी। क्योंकि सदियों से दलितों के साथ न्याय नहीं हुआ है। आधुनिक काल में वे अब बर्दाश्त की स्थिति में नहीं है। जब इनके एवं परिवार के साथ सामाजिक दुर्व्यवहार, अत्याचार, उपेक्षा, अनादर होता है तब वे न्याय की गुहार पंचायत से लेकर न्यायालय तक अवश्य करते है, किन्तु इन्हें सपफलता नहीं मिलती है। इनके पूर्वज इस तरह के अत्याचार का जिम्मा भगवान के उपर छोड़ देते थे किन्तु आज वे अपने प्रतिशोध का बदला स्वयं लेने लग गये है और ऐसा संगठन कायम कर लिए है जिससे सामंती ताकतो का मुकाबला कर सकें। इसी का परिणाम है कि भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक रूपों में इनका संगठन देखने को मिलता है जैसे असम में उल्पफा, बिहार, आंध्रप्रदेश, छतीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड

आदि राज्यों में एमसीसी एवं पीपुल्स बार ग्रुप। आज भी दलितों की स्थिति मे बहुत ज्यादा सुधर नहीं हुआ है। इसमें सुधर की आवश्यकता है। [2]

बिहार में 1990 के दशक के बाद जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो लगा कि दलितो के बुरे दिन लद गए और अच्छे दिन आने के आगाज हो गए तथा नीतीश कुमार को जिस उम्मीद से मुख्यमंत्री के रूप में दलित, शोषित वर्गों ने वोट देकर बैठाया उस पर वे इन वर्गों के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की ठानी तथा सभी योजना को रूपहले पर्दे पर लाने का प्रयास किया इसमें सपफलता पूर्णतः तो नहीं मिली लेकिन इसमें सपफलता मिलती हुई प्रतीत जरूर हो रही है। आज बिहार में दलित वर्ग के सामाजिक स्तरों में समानता लाने की तलाश में जारी है।

आजादी के उपरांत बिहार में दलितोत्थान के प्रयास में बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अभीष्ट प्रभाव पड़ा। अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने पहली बार 1957 ई0 में बिहार का दौरा किया था। 6 नवम्बर को वे पटना पहुँचे। उनके साथ उनकी पत्नी सविता अम्बेदकर एवं परिगणित जाति संघ के महामंत्री पी.एन. राजभोज भी थे। पटना गाँधी मैदान में उनका भव्य स्वागत हुआ। विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा – ''मुझे इस बात से खुशी है कि महात्मा बु(की पवित्रा भूमि पर सामाजिक क्रांति का बीज पिफर से अंकुरित हो गया है। यह वही स्थान है जहाँ से ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में पफैला है। देश के शोषित संगठित हो और आगे बढे। वर्ण–व्यवस्था और जाति–प्रथा के कारण शूद्र, अति शूद्र, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों को सामाजिक, आथिक एवं राजनैतिक सुविधओं से वंचित रहना पड़ा है। हिन्दुओं की वर्तमान सड़ी–गली सामाजिक व्यवस्था का मूलोच्छेद कर जब तक नये समाज का निमाण नहीं हो जाता तब तक समाज के पिछड़े वर्गो के लोगो, पीड़ितों, दलितों एवं आदिवासियों का कल्याण नहीं हो सकता। आप, हम पर मुखापेक्षी न होकर अपनी शक्ति को पहचाने तथा समाज में अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाकर देश की राजनीति एवं शासन संबंधी कार्यों में बढ–चढकर भाग ले। मुट्ठी भर लोगो द्वारा परिगणित जाति के लोगों को उनके पैरो के तले दबे रहने का जमाना लद चुका। अम्बेदकर ने कहा–''भारतीय संविधन में समस्त भारतीयों को सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है। दो हजार वर्षो तक हमारी आत्मा को इस तरह कुचला गया है कि अब हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश में हम दलितों, पिछड़ों, शोषितों और शूद्रों की संख्या 90 प्रतिशत है। देश की शासन सत्ता हम अपने हाथ में ले लेंगे। जिस प्रकार विदेशों में सामाजिक अत्याचार का विरोध किया गया उसी तरह हमे भी अपनी वर्तमान समाजिक व्यवस्था का मूलोच्छेद कर देश का नवनिर्माण करना है। इसके लिए शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष के लिए आगे बढ़ो। कायर बारबार मरता है किन्तु वीर पुरुष कभी नहीं मरता है। उन्होंने दलितों से आहवान किया कि तुम्हें खुद से मजबूत बनना होगा। नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। [3]

बिहार सरकार ने शुरू से ही दलितों की स्थिति में सुधर लाने का प्रयास किया। 13 नवम्बर 1953 को निश्चय किया गया कि जिन सेवाओं और पदो पर राज्य स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियाँ की जाएँगी उनमे अनुसूचित जातियों के लिए 12 प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित रहेगी। 1956 ई0 में बिहार सरकार ने अपनी एक अधिसूचना के द्वारा पूरे प्रान्त में 21 जातियों को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान किया। ये जातियाँ थी– बांतर, बाउरी, भोगता, चमार या मोची, चौपाल, दबंगा, धेबी, डोम या थांगर, दुसाध, घोसी, हलालखोर, हारी, ;मेहतर या भंगीद्ध कंजर, कुर्रयियार, लालबेगी, मुसहर, नट पान या स्वासी पासी, रजवार और तूरी। भूमिज को पटना और तिरहुत प्रमंडल में तथा मुंगेर, भागलपुर, पलामू और पूर्णिया जिले में अनुसूचित जाति माना गया। भुईया को पटना, शाहाबाद, गया और पलामू जिलों में अनुसूचित जाति माना गया। 1967 के बिहार विधनसभा चुनाव के बाद बिहार के परिदृश्य बदल गये। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए दलितों, पिछड़ों की संख्या बिहार विधनसभा में बढ़ता गया। और दलितों को मंत्रिमंडल में उचित स्थान मिलता गया। 1977 के भारत के लोकसभा और बिहार विधनसभा के चुनाव यादगार साबित हुए। जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता पार्टी में शामिल हो गए। और 1977 की जनता पार्टी की सरकार में उपप्रधनमंत्री बनाये गए। बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से रामविलास पासवान ने रिकार्ड मत से जीत हासिल किया। 1979 ई0 में रामसुन्दर दास बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके पहले भी भोला पासवान शास्त्री कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। बिहार मे कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने उनके कार्यकाल मे अनुसूचित जातियों के उपर जूलम को देखते हुए हरिजन थाना की स्थापना हुई। दलितों के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाया गया है यथा हरिजन छात्राावास, छात्रावृति बगैरह।

बिहार में दलित से महादलित बनने की प्रक्रिया चली इसमें राजनीति हावी हो गई वरना महादलितों का चुनाव कर उनके विकास के लिए कदम उठाने की अभी भी जरूरी है। बिहार सरकार ने महादलित के रूप में जिन वर्गों का चुनाव किया वे हैं –

(1) चमार, (2) मुशहर, (3) पासी, (4) धेबी, (5) भूईया, (6) रजवार, (7) डोम, (8) बंतर, (9) चौपाल, (10) कंजर, (11) कुदैरिया, (12) भोक्ता, (13) दबगार, (14) बौरी, (15) लालबेगी, (16) घासी, (17) पान, (18) नट, (19) तुरी, (20) हलखोर, (21) भउरी।

यह सूची महादलितों की है जिसको समाज के मुख्यधरा में लाने के प्रयास किए जा रहे है। यह वर्ग अपनी पहचान खाने पर था जहाँ से नीतीश कुमार ने इनको मुख्यधरा में लाने का कार्य किया है। [4]

इससे 1990 के दशक के उपरांत से 2005 तक आते–आते अन्य दलित जातियों में प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। लेकिन वे चाहकर भी कुछ विशेष नहीं कर पा रहे थे। आगे चलकर 2005 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस 'दबे–कुचले दलितों' को महादलित की संज्ञा दी। श्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में सबसे पहले 'महादलित के लिए आवाज उठायी और उन्हें उनके वोट की कीमत का बोध कराया। अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में श्री नीतीश कुमार ने महादलितों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम बनाया था इसे सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया।

दूसरे राजनेताओं से अलग नीतीश कुमार ने महादलितों की स्थिति में सुधार के लिए एक महादलित आयोग का गठन किया। इस आयोग में अपनी रिपोर्ट में 18 महादलितों–बन्तर, वौरी, भोक्ता, चौपाल, दबगर, डोम, घासी, हलखोर, हरी, कन्जर, कुरैरीया, लागवेगी, मुशहर, नट, पन, राजवार और तुरी–को चिन्हित किया है। इसके अतिरिक्त तीन और जाति को महादलित में शामिल किया गया है। ये हैं– धेबी, पासी और चमार। इस आयोग ने महादलित की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'अभी तक इन जातियों का न तो कोई भी शिक्षक उच्च विद्यालय में कार्यरत है और न ही अच्छे पदों पर आसीन है'। अतः इनके विकास के लिए सरकार को सख्ती से कदम उठाने चाहिए ताकि इनका विकास हो सके और उनकी स्थिति सुधर सके।

पिछले पाँच साल के कार्यकाल के दौरान नीतीश सरकार ने महादलितों के उत्थान के लिए व्यापक योजनाएँ तैयार की और उन पर ईमानदारीपूर्वक अमल किया। इनके लिए आरक्षण की विशेष सुविध देकर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है।

महादलितों तक सभी योजनाओं को पहुँचाने के लिए विकास मित्राों का नियोजन किया गया है। महादलितों के विकास के लिए 3 अरब का विशेष पैकेज भी दिया गया है। अतः यह विचारणीय है कि वे कौन सी परिस्थितियाँ रहीं हैं जिनके चलते बिहार की राजनीति में स्वतंत्राता प्राप्ति के 58 वर्ष बाद तक यानी 2005 तक न तो महादलित शक्ति का उभार हो पाया और ना ही वह अपनी पहचान बना पायी। किन्तु आज किन कारणों से कौन–कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी है जिनके चलते महादलित बिहार की रजानीति में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में इन प्रश्नों की बरीकी से छानबीन की जाएगी। [5]

हाल के वर्षों में बिहार की राजनीति में दलित उत्कर्ष या दलितों की भूमिका को लेकर कुछ महत्वपूर्ण काम हुए है। उदाहरण के लिए आर.एल.चन्द्रापुरी की पुस्तक 'भारत में ब्राह्मणराज एवं पिछड़ा वर्ग आन्दोलन', पटना, 1996, राजकिशोर की पुस्तक 'हरिजन से दलित', वाणी प्रकाशन, दिल्ली 2004 अभय कुमार दुबे की पुस्तक 'आधुनिकता के आइने में दलित', दिल्ली, 2002 संजय कुमार की पुस्तक 'दलितः उद्‌भव एवं विकास', पटना 2009 को देख जा सकता है। लेकिन बिहार की राजनीति में महादलित का उद्‌भव तथा दशा एवं दिशा पर कोई शोध या लेख प्रकाशित नहीं हुआ है। बहरहाल कोई भी अध्ययन अंतिम नहीं होता और न अन्य अध्ययनों का निषेध करता है। अतीत में किये गये अध्ययन भावी पीढ़ियों को दृष्टि देते हैं और उन्हें अनेक अनछुये प्रसंगों पर काम करने को प्रेरित करते हैं। एक गंभीर अध्ययन अन्य अनेक अध्ययनों की पृष्ठभूमि तैयार कर ही अपनी सार्थकता पाता है। प्रस्तुत शोध–प्रबंध इसी आभाव को पूरा करने का एक प्रयास है।

श्री नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में सबसे पहले महादलित के लिए आवाज उठायी, इनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कार्यक्रम तय किए और इनको विकास के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। परिणाम यह हुआ कि दलितों में अत्यधिक पिछड़े (महादलित) जो सुसुप्तावस्था में थे बिहार की राजनीति में एक सशक्त कारक बनकर उभरे हैं। श्री नीतीश कुमार के पिछले 8 वर्ष के शासनकाल में सरकार ने महादलितों के विकास के लिए जो नीति निर्धरित की है उससे वे मुख्यधरा में आ गये हैं और उनके दशा औ दिशा पर व्यापक चर्चा होने लगी है। इस दृष्टिकोण से यह प्रबन्ध पूरी तरह औचित्यपूर्ण है। [6]

अंततः कहना न होगा कि अम्बेदकर हो या गांधी, देश के पहले प्रधनमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या पिफर नीतीश कुमार, उन सभी ने व्यक्ति को महत्व दिया। उनके सम्मान के लिए योजनाओं का निर्धरण किया है। वह पानी की समस्या हो या रोजगार की, सभी क्षेत्राों में व्यक्ति की भलाई के लिए सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ बल्कि व्यवस्था परिवर्तन भी हुआ। महादलितों को जीवन के सभी क्षेत्राों में भागीदारी मिली। इन महादलितों ने बिहार की राजनीति के दशा और दिशा को प्रभावित किया है।

संदर्भ

1. महात्मा गाँधी, 'रिमूवल ऑपफ अनटचैबिलीटी' नवजीवन पब्लिकेशन, अहमदाबाद, 1949, 192
2. नेसपफील्ड, 'जर्नल ऑपफ गाड्रेन हिस्ट्री', 1993, 69–89
3. एन. के. दत्त, द ओरिजन एण्ड ग्रोथ ऑपफ कास्ट इन इंडिया, पृ. 173
4. टी. बी. वोटोमोर, अनुसूचित जाति और जनजातीय राजनीति, 1966, 25
5. धूरिद्र, कास्ट एण्ड रेस इन इंडिया, पोपुलर प्रकाशन, 1969, 504
6. राम शरण शर्मा, शुद्रों का प्राचीन इतिहास, 1992, पृ. 33